



1. जयलाल पिता गंगा चमार
2. सुषमा पति राजेश चमार

R5457-II/16

RS-301-

दोनो निवासी ग्राम-कटकी तहसील-सिरमौर जिला-रीवा म०प्र०।

पुनरीक्षणकर्तागण / प्रार्थीगण

बनाम

अनिल कुमार द्विवेदी पिता रामावतार द्विवेदी निवासी ग्राम-कटकी तहसील-सिरमौर जिला-रीवा (म०प्र०)

गैरपुनरीक्षणकर्ता / गैरयाची

पुनरीक्षण विरुद्ध विद्वानं अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील- सिरमौर वृत्त बैकुण्ठपुर जिला-रीवा म०प्र० के राजस्व प्रकरण कंमाक-77अ6अ/2014-15 अन्तरिम आदेश दिनांक-29/09/2016 के विरुद्ध अन्तर्गत धारा-50 म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959ई०।

अनिल कुमार  
द्विवेदी द्वारा  
07-10-16

क्लर्क आफ कोर्ट  
राजस्व मण्डल म०प्र०  
(सर्किट कोर्ट) रीवा

मान्यवर,

पुनरीक्षण/निगरानी का सूच्य तथ्य इस प्रकार है:-

माननीय विद्वानं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अनिल कुमार विरुद्ध जयलाल वगैरह का खसरा सुधार का आवेदन लम्बित है, जिस पर पुनरीक्षणकर्तागण भूमि खसरा कंमाक-581/3 रकवा 0.040हे० जो पुनरीक्षणकर्ता कंमाक-02 सुषमा ने कय की थी और भूमि खसरा कंमाक- 582/2 रकवा 0.210हे० जो दोनो स्थित ग्राम-कटकी की भूमि है कय की गई थी और पुनरीक्षणकर्तागण का विधि संगत नामान्तरण हुआ और नामान्तरण उपरान्त राजस्व खसरे में अभिलिखित किये गये किन्तु गैर पुनरीक्षणकर्तागण ने माननीय

m

by RA  
mnr

